

झाँसी विकास प्राधिकरण

नववर्ष के उपलक्ष्य में झाँसी नगर वासियों के लिए प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं/व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स में भूखण्ड/दुकानें प्राप्त करने का सुनहरा अवसर

वीरांगना नगर व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स				झलकारी बाई व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स			
द्वितीय तल - न्यूनतम आरक्षित दर ₹0 51,000.00 प्रति वर्ग मी०				प्रथम तल - न्यूनतम आरक्षित दर ₹0 49,800.00 प्रति वर्ग मी०			
संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	अनुमानित मूल्य (लाख में)	पंजीकरण धनराशि (लाख में)	संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	अनुमानित मूल्य (लाख में)	पंजीकरण धनराशि ₹. (लाख में) (10 प्रतिशत पूर्णांक सहित)
S-2	144.37	73.63	7.00	FF-1	182.15	90.71	9.00
नोट :- सुपर एरिया हेतु द्वितीय तल पर सम्पत्ति मूल्य का 15 प्रतिशत अतिरिक्त देय होगा।				FF-2,3,4	103.98	51.78	5.00
				FF-15	79.06	39.37	4.00
				FF-17	133.33	66.40	7.00

आवासीय योजनाओं में व्यवसायिक भूखण्डों का विवरण							
क्र. सं.	योजना का नाम	भूखण्ड का प्रयोजन	संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मी० में) प्रति भूखण्ड	आरक्षित दर प्रति वर्ग मीटर	भूखण्ड का अनुमानित मूल्य (₹० में)	पंजीकरण राशि ₹० लाख में (10 प्रतिशत पूर्णांक सहित)
1	सारन्धा नगर आवासीय योजना	व्यावसायिक	03	670.00	₹. 10,800.00	72,36,000.00	7.00
				900.00		97,20,000.00	10.00
				1245.00		1,34,46,000.00	13.00
2.	पीताम्बरा नगर आवासीय योजना	व्यावसायिक	02	857.00	₹. 10,800.00	92,55,600.00	9.00
				377.00		40,71,600.00	4.00
3.	बेतवा विहार आवासीय योजना	व्यावसायिक	01	13110.00	₹. 11,800.00	15,46,98,000.00	15.00

पंजीकरण/प्रक्रिया

- आवेदन पुस्तिका भारतीय स्टेट बैंक, फोर्ट शाखा, पचकुइयां, झाँसी से ₹0 525.00 (5 प्रतिशत वैट सहित) के नगद भुगतान पर दिनांक 18.01.2016 से 05.02.2016 तक प्राप्त की जा सकती है तथा प्राधिकरण की वेबसाइट www.jdaindia.org से उक्त अवधि में डाउनलोड भी की जा सकती है। डाउनलोड करने की दशा में ₹0 525.00 मूल्य का बैंक ड्राफ्ट जो कि सचिव झाँसी विकास प्राधिकरण के पक्ष में देय होगा साथ में अलग से संलग्न करना होगा।
- आवेदन पत्र समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण करते हुये झाँसी विकास प्राधिकरण कार्यालय में दिनांक 06.02.2016 की अपराह्न 5.00 बजे तक जमा किये जा सकते हैं।
- नीलामी की कार्यवाही दिनांक 10.02.2016 को पूर्वान्ह 11.30 बजे कार्यालय झाँसी विकास प्राधिकरण, कमिश्नरी कम्पाउण्ड, झाँसी में की जायेगी।
- नीलामी की कार्यवाही पूर्ण होने पर सीलबन्द ऑफर खोले जायेंगे। उक्त दोनों में अधिकतम दर के आवेदन पर आवंटन हेतु विचार किया जायेगा। न्यूनतम आरक्षित मूल्य से नीचे की बोली/सीलबन्द ऑफर स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- नीलामी स्वीकृत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर 25 प्रतिशत धनराशि (पंजीकरण धनराशि घटाते हुये) जमा करनी होगी अन्यथा आबंटन निरस्त करते हुये नियमानुसार कटौती करते हुये शेष धनराशि वापिस कर दी जायेगी।
- भूखण्डों की माप घट बढ़ सकती है। आवेदन से पूर्व स्थल एवं मानचित्र का भली भाँति निरीक्षण कर ले।
- नीलामी/सीलबन्द ऑफर को स्वीकार/निरस्त करने का अधिकार उपाध्यक्ष, झाँसी विकास प्राधिकरण में निहित होगा।
- नियम व शर्तें पंजीकरण पुस्तिका तथा प्राधिकरण की वेबसाइट पर देखी जा सकती हैं।

दूरभाष : 0510-2441787 फैक्स : 0510-2441787, 2333348

website : www.jdaindia.org, email : jda_jhansi@rediffmail.com, vc@jdaindia.org

सचिव, झाँसी विकास प्राधिकरण

उपाध्यक्ष, झाँसी विकास प्राधिकरण